



INDIA NON JUDICIAL



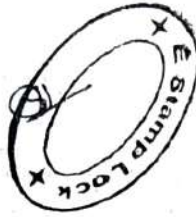
IN-UP16983054446505W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP16983054446505W
Certificate Issued Date : 19-Jul-2024 03:53 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14400504/ KADIPUR/ UP-SLT
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1440050430488751196013W
Purchased by : S R GROUP OF INSTITUTIONS C T SHIV NARAYAN VERMA
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : S R GROUP OF INSTITUTIONS C T SHIV NARAYAN VERMA
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : S R GROUP OF INSTITUTIONS C T SHIV NARAYAN VERMA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,300
(One Thousand Three Hundred only)

31/24/2024



इश्वरचन्द्र मिश्र

SIGN & Date:.....
ACC NAME- Harish Chandra Mishra
ACC ADDRESS- Raipur Kayathi, Kadipur-Sultanpur
LIC NO-K14/97 ACC CODE- UP14400504
Mob. 9451458017

Please write or type below this line

मोहरी चन्द्र मिश्र
(रि.)
19/7/24

मोहरी चन्द्र मिश्र
19/7/24

मोहरी चन्द्र मिश्र
19/7/24



0002738437

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

VOID VOID VOID

Manager

Gokul International Academy
Kekarchavar, Karandikala, Sultanpur (U.P.)

एस०आर० ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशंस

(न्यास/ट्रस्ट) दस्तावेज

मैं शिवनारायण वर्मा सुत श्रीराम कल्प वर्मा निवासी ग्राम-केकरचौर, पोस्ट पट्टीनरेन्द्रपुर, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर (उ०प्र०) "एस०आर० ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशंस" स्थित ग्राम-केकरचौर, पोस्ट-पट्टीनरेन्द्रपुर, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर (उ०प्र०) का दस्तावेज अपने हस्ताक्षर से रजिस्टर्ड करता हूँ।

इस लोक कल्याणकारी न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना दिनांक 18 जुलाई 2024 को की गयी है। यह न्यास दस्तावेज "एस०आर० ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशंस" के नाम से जाना जायेगा एवं इसकी स्थापना अधोलिखित उद्देश्यों से किया जा रहा है। जिरा पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के समस्त नियम उपनियम लागू होंगे।

मैं प्रधान न्यासी शिवनारायण वर्मा सत्य निष्ठा एवं स्वविवेक से गु० 11000/- (ग्यारह हजार) रुपये न्यास में जमा करके इस न्यास की स्थापना करता हूँ एवं इस 11000/- (ग्यारह हजार) रुपये की धनराशि के साथ-साथ वह सभी धनराशि व सम्पत्तियाँ जो समय समय पर अनुदान, अंशदान, उपहार, बक्शीस, क्रय आदि से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या गेरे द्वारा या सस्थान, संगठन, संघ सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा दिया जायेगा। उस राशी पर न्यास का अधिपत्य होगा तथा वह न्यास की सम्पत्ति होगी। किसी भी परिस्थिति में न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत या निजी उपयोग में नहीं लाई जायेगी। उक्त सम्पत्ति के रख-रखाव हेतु एक न्यास फण्ड होगा। जिराका उल्लेख रजिस्टर में अंकित किया जायेगा या बैंक खातों में जमा किया जायेगा।

मैं शिवनारायण वर्मा एतद्वारा निम्न व्यक्तियों को न्यासी नियुक्त करता हूँ।

1. शिवनारायण वर्मा सुत श्रीराम कल्प वर्मा निवासी ग्राम-केकरचौर, पोस्ट पट्टीनरेन्द्रपुर, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर (उ०प्र०) पेशा व्यवसाय (मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक)




Manager

Gokul International Academy
Kekarchavar, Karaudikala, Sultanpur (U.P.)

2. देवनारायण वर्मा सुत श्री राम कल्प वर्मा ग्राम-केकरचौर, पोस्ट-पट्टीनरेन्द्रपुर, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर (उ०प्र०) पेशा-व्यवसाय (न्यासी)
3. राजलक्ष्मी वर्मा पत्नी शिवनारायण वर्मा ग्राम-केकरचौर, पोस्ट-पट्टीनरेन्द्रपुर, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर (उ०प्र०) पेशा-गृहणी (न्यासी)
4. राकेश वर्मा सुत श्री पारस नाथ वर्मा गि० ग्राम-संवायन, पोस्ट-सरपतहाँ, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर (उ०प्र०) पेशा-खेती (न्यासी)
5. कविता वर्मा पत्नी राकेश वर्मा गि० ग्राम-संवायन, पोस्ट-सरपतहाँ, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर (उ०प्र०) पेशा-गृहणी (न्यासी)

ट्रस्ट का नाम :- "एस०आर० ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशंस"

ट्रस्ट का स्थाई पता:- ग्राम-केकरचौर, पोस्ट-शहाबुद्दीनपुर, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर (उ०प्र०)। पिन कोड-228161

ट्रस्ट का पत्राचार का पता:-

ग्राम-केकरचौर, पोस्ट-पट्टीनरेन्द्रपुर,

जिला-जौनपुर (उ०प्र०) पिन कोड-223102

ट्रस्टकर्ता- निर्माता : शिवनारायण वर्मा सुत श्रीराम कल्प वर्मा निवासी ग्राम-केकरचौर, पोस्ट-पट्टीनरेन्द्रपुर, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर (उ०प्र०)।

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र :- सम्पूर्ण भारत वर्ष।

ट्रस्ट का संविधान/ट्रस्ट की प्रबन्ध कारिणी समिति :- उपरोक्त वर्णित संस्था न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने व न्यास के कार्य सम्पादन करने के लिए न्यासीगण द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा किसी बैंक में खाता खोलने जिसमें न्यास फण्ड का पैसा जमा




Manager

Gokul International Academy
Kekarchavar, Karaudikala, Sultanpur (U.P.)

होगा एवं खाते का संचालन प्रबन्धक/मुख्यन्यासी स्वयं या किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से संचालित करेगा।

प्रबन्ध समिति में न्यासी को शामिल करने का निर्णय न्यासी मण्डल करेगा। किन्तु मतैक्य न होने की दशा में प्रबन्धक स्वयं अपने निर्णय से न्यासी नियुक्त कर सकता है।

ट्रस्ट के क्रिया कलापों के बारे में प्रबन्धक अन्य सदस्यों से विचार विमर्श करके निर्धारण करेगा। किन्तु सदस्यों के विचार व सलाह किसी भी तरह (प्रबन्धक) पर बाध्यकारी नहीं होगा।

समस्त न्यासीगण जैसा उचित समझें उन्हें न्यास की इस विलेख द्वारा की जा रही व्यवस्था को परिवर्तन करने रुपांतरण करने व न्यास को रुपान्तरित करने का अधिकार प्रबन्धक की सहमति से होगा। किन्तु प्रत्येक परिवर्तन रुपान्तरण एवं परिवर्धन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

ट्रस्ट में न्यासियों की संख्या न्यूनतम 5 व अधिकतम 7 होनी चाहिए।

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पट्टे पर देने, विक्रय करने व किराये पर देने एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को विक्रय करने, पट्टे पर देने, दान आदि देने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

यदि आवश्यक हो तो प्रबन्धक ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उप समिति का गठन कर सकता है। नव गठित उप समिति प्रबन्धक/ट्रस्टी मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगी।

ट्रस्ट द्वारा लाये गये बादों या न्यास पर लाये गये बादों की पैरबी हेतु अधिवक्ता या प्रतिनिधि करने की जिम्मेदारी व अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक की होगी।

ट्रस्ट के कार्य संचालित हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रबन्धक को होगा। एवं इनको देय वेतन की धनराशि निर्धारण प्रबन्धक न्यासी मण्डल से अथवा बहुमत से करेगा।




न्यास के विघटन की दशा में समस्त सम्पत्ति मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी की होगी।

किसी भी न्यासी के मृत्यु के पश्चात उसकी जगह दूसरे की नियुक्ति करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को ही होगा।

मुख्य न्यासी की मृत्यु के पश्चात समस्त अधिकार उसके उत्तराधिकारी/वारिस को होगा।

ट्रस्ट या ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था/संस्थाओं का प्रबन्धन मुख्य न्यासी द्वारा किया जायेगा। मुख्य न्यासी ही ट्रस्ट/ट्रस्टी द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबन्धक/एम0डी0 होगा।

मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा लिये गये सभी निर्णय का अनुमोदन न्यासी मण्डल द्वारा लिया जायेगा। मतैक्य न होने की दशा में कमसे-कम तीन सदस्य मण्डल के सदस्यों की सहमति आवश्यक है। सहमति न होने पर मुख्यन्यासी निर्णय स्वयं ले सकता है।

ट्रस्ट मण्डल की त्रयमासिक, अर्द्धमासिक, व वार्षिक बैठक आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी द्वारा आहूत की जायेगी।

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की देख-रेख करे और उसके एकाउण्ट रसीद एवं कागजातों आदि का निरीक्षण करे और उसके निरीक्षण के लिये किसी भी आडिटर की नियुक्ति आवश्यकतानुसार करे।

ट्रस्ट मण्डल की बैठक बुलाना और उसे अवश्यकतानुसार स्थगित करने का भी अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।

न्यास का उद्देश्य:-

1. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित विभिन्न संस्थागत सांस्कृतिक एवं रोजगार परक शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना।




Manager
 Gokul International Academy
 Kekarchavar, Karaudikala, Sultanpur (U.P.)

2. ज्ञान एवं शोध तथा अन्य तत्समय उद्देश्यों हेतु छात्रवृत्तियाँ तथा फेलोशिप प्रदान करना।
3. ऐसा हर सम्भव कदम उठाना, जो न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपकारी एवं सहायक हो।
4. शासन के मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय एकता एवं समाज के उत्थान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
5. समाज के स्वरोजगार योजना एवं आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करना।
6. गरीब, विकलांग, मूक बधिर, मंद बुद्धि आदि को शिक्षा दीक्षा पुर्नवास हेतु कार्य करना एवं प्रचार प्रसार करना तथा सरकारी विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरुकता पैदा करना।
7. गरीब, अनुसूचित जातियों को मुफ्त शिक्षा दीक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा का प्रबंध करना।
8. गरीब एवं निराश्रित महिलाओं के कल्याणार्थ एवं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु रोजगार परक शिक्षा देना एवं कार्य करना।
9. गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ कार्य करना।
10. परिवार नियोजन एवं कुष्ठ रोग निन्त्रण हेतु समाज में जागरुकता पैदा करना एवं कार्य करना।
11. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य व्यवसाय परक शिक्षा, तकनीकी एवं शिक्षा की व्यवस्था करना तथा शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा तत्सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना।
12. पर्यावरण एवं जल तथा वन्य जीव संरक्षण हेतु कार्य करना।
13. समाज कल्याण विभाग द्वारा जनहित में चलाये गये कार्यक्रमों का संचालन करना एवं समाज कल्याण हेतु वह प्रत्येक कार्यक्रमों को करना जो समाज व देश के हित में हो तथा प्रकृतिक व दैवीय आपदा आने पर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना एवं शासन प्रशासन द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में सहयोग करना।





Manager
 Gokul International Academy
 Kekarchavar, Karaudikala, Sultanpur (U.P.)

14. भारतीय संस्कृति भाषा दर्शन साहित्य कला एवं संगीत तथा अन्य प्राक्य विधाओं आर्युविज्ञान के सम्बर्धन एवं विकास में सार्थक भूमिका हेतु समय समय पुर गोस्त्रियों एवं व्याख्यान माला शोध एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उसके विकास के लिये प्रकाशन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
15. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना प्रौढ शिक्षा को बढावा देना एवं शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा लोगो को वैज्ञानिक एवं उपयोगी जानकारी से अवगत कराना इसके लिए छात्रवृत्ति, पेंशन एवं आर्थिक सहायता वेतन विद्यालय को अनुदान, स्कूल कालेज, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।
16. ग्रामीण अंचलो में नागरिकों, बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च एवं उच्चेतर विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करने हेतु समुचित प्रबंध करना।
17. चिकित्सा पद्धति से विभिन्न विधाओं के विकास हेतु होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलौपैथिक मेडिकल कालेजो की स्थापना करना एवं सफल संचालन करना।
18. तकनीकी शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग, आई,टी,आई0, पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना करना एवं सफल संचालन करना।
19. लोगो को आप निर्भर बनाने हेतु इलेक्ट्रानिक कला, टाइपिंग, टेलरिंग, व्यूटीशियन के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजनायें चलाना एवं लघु कुटीर उद्योग लगाने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
20. व्यवसायिक शिक्षा प्रदान हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
21. विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के तहत लोगों के इलाज हेतु विभिन्न हास्पिटल की स्थापना करना तथा सफल संचालन करना।
22. चिकित्सीय एवं तकनीकी क्षेत्र में विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु रिसर्च सेंटर की स्थापना करना तथा सफल संचालन करना।



23. शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं बच्चों हेतु विकलांग विद्यालय एवं अन्ध विद्यालय की स्थापना करना एवं उसके पुनर्वास हेतु पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उसका सफल संचालन करना।
24. एड्स, कुष्ठ रोग एवं यौन रोग, पोलियो, कैंसर, तपेदिक एवं अन्य संक्रामक बीमारियों तथा जानलेवा बीमारियों के लिये जन जागरण, पीड़ित व्यक्तियों की एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना।
25. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ अकाल, भूकम्प, आगजनी, महामारी एवं दुर्घटना में समय-समय पर पीड़ितों की सहायता करना।
26. पर्यावरण जल प्रबन्धन और ग्लोबल वार्मिंग हेतु समय-समय पर संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों इत्यादि का आयोजन करना एवं जन जागरण करना।
27. निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति शिक्षण एवं प्रशिक्षण करना।
28. जन सामान्य को न्याय दिलाने हेतु समय-समय पर विधिक सहायता केन्द्र चलाकर जानकारी उपलब्ध कराना।
29. समय-समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।
30. पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।
31. समाचार पत्र पत्रिकाओं का संचालन करना।
32. सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज उत्पीड़न अत्याचार एवं यौन शोषण बाल यौन शोषण मादक द्रव्यों का सेवन इत्यादि के विरुद्ध जन जागरण करना एवं विधिक सहायता प्रदान करना।
33. जन समुदाय में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने हेतु भारतीय महापुरुषों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से सम्बन्धित संगोष्ठियाँ, सेमीनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना व कराना।
34. नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु डेरी फार्म एवं पशुपालन प्रदान करना।



35. स्वरोजगार योजना के तहत खाद्य सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान देते हुये खाद्य सामग्री का उत्पादन करना व एकत्री करण करना तथा सहकारी समिति का गभन कर उचित मूल्यों पर उपभोगताओं तक पहुँचाना।
36. स्व रोजगार योजना के तहत बन आशधि पैधों का संरक्षण उत्पादन संग्रह कर उपभोगताओं तक पहुँचना
37. अनाथ, असहाय, बच्चों की देख-रेख, पालन-पोषण, शिक्षा चिकित्सा इत्यादि हेतु पुनर्वास की स्थापना करना तथा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
38. महिलाओं एवं वृद्धों हेतु पुनर्वास एवं सेवा आश्रम की स्थापना करना
39. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की शिक्षा चिकित्सा, शादी-विवाह करना।
40. प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित लोगों का संगठन बना कर योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप रोजगार प्रदान करने का प्रयास करना तथा उसकी समस्याओं का उचित एवं वैधानिक प्राविधान करना व कराना।
41. असंगठित मजदूरों को संगठित कर नियमित रोजगार प्रदान कराने का प्रयास करना तथा उनके समस्याओं का उचित एवं वैधानिक समाधान करना व कराना।
42. क्षेत्र वासियों के स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता की भावना को उत्पन्न करते हुये खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड की नीतियों के अनुरूप शिक्षण एवं प्रशिक्ष की व्यवस्था करते हुये उत्पादन केन्द्र खोलना व संचालन करना।
43. सरकारी अर्धसरकारी निगमों संस्थाओं, विभागों उ०प्र० निर्यात निगम लघुउद्योग निदेशालय महिला कल्याण निगम पिछणा कल्याण निगम अल्पसंख्यक कल्याण निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण केन्द्र।
44. कार्यक्रमों एवं उसके वित्तीय सहायता अनुदान परामर्श आदि लेकर समाज के निर्धन अल्पसंख्यक पिछड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रशिक्षण करके स्वावलम्बी बनाना।



45. कृषि क्षेत्र में कृषक समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने सहकारी खेती को बढ़ावा देना इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से कृषक मेला आदि का आयोजन करना साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, समुचित जल प्रबंध करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना, मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण हेतु जैविक कृषि को बढ़ावा देना, कृषि उपज का बेहतर मूल्य हेतु विपणन की व्यवस्था करना।
46. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से सम्बन्धित सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्र में प्रचार प्रसार तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य करने एवं स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास आदि योजनाओं के क्रियान्वयन पर कार्य करना
47. भारत सरकार वा राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना एवं कार्य करना।
48. योग के क्षेत्र में कार्य करना यथा--समाज में योग के प्रति लोगों को जागरूक करना और तत्सम्बन्धी योजनायें जो भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बलाई जाय उन पर कार्य करना तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

अतः मुझ प्रथम प्रधान ट्रस्टी/प्रबन्धक शिवनारायण वर्मा सुत श्रीराम कल्प वर्मा द्वारा इस न्यास-पत्रक को दिनांक 18-07-2024 को निष्पादित किया गया है कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवें। आज दिनांक 18-07-2024 को "एस0आर0 गुप ऑफ इन्स्टीट्यूशंस" के पारा 11000/- के अतिरिक्त अन्ध कोई बल अचल सम्पत्ति नहीं है।



हस्ताक्षर
प्रबन्धक
शिवनारायण वर्मा


Manager
Gokul International Academy
Kekarchavar, Karaudikala, Sultanpur (U.P.)

मसविदाकर्ता—अजय कुमार मिश्र 'एडवोकेट', तहसील—कादीपुर, सुलतानपुर।

साक्षी— (1) अजय कुमार मिश्र सुत कगला प्रसाद उर्फ कगल पति मिश्र
निवासी ग्राम—बांगरखुर्द, अजय कुमार मिश्र
तहसील—कादीपुर, जिला—सुलतानपुर।

साक्षी— (2) विवेका नन्द सुत राधेश्याम 
निवासी ग्राम—हिन्दुआबाद,
तहसील—कादीपुर, जिला—सुलतानपुर।

टाइपकर्ता— प्रदीप कुमार मिश्र एडवांस कम्प्यूटर्स कादीपुर, सुलतानपुर।

दिनांक — 18-07-2024



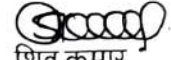
7/19/24, 4:45 PM

पृष्ठ विलेख 60

आवेदन सं०: 202400918005225

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 37 के पृष्ठ 277 से 298 तक क्रमांक 31 पर
दिनांक 19/07/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



शिव कुमार

उप निबंधक : कादीपुर

सुलतानपुर

19/07/2024



Manager

Gokul International Academy
Kekarchavar, Karaudikala, Sultanpur (U.P.)

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

ADLPV5128Q

326
5
85630

नाम / Name
SHIVNARAYAN RAMKALAP VERMA

पिता का नाम / Father's Name
RAMKALAP GOKULPRASAD VERMA

जन्म की तारीख / Date of Birth
08/05/1974

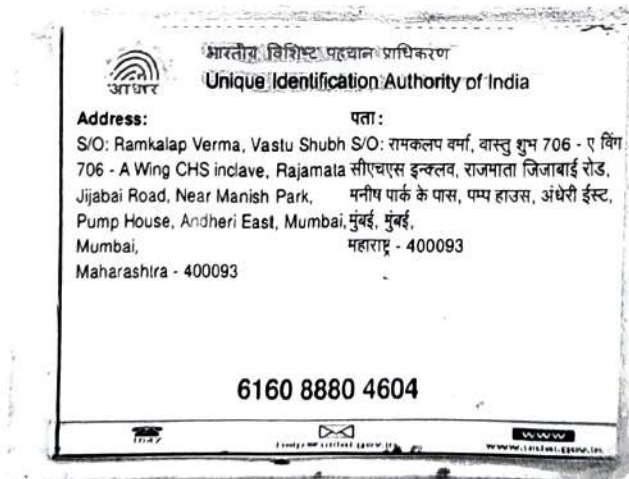
हस्ताक्षर / Signature



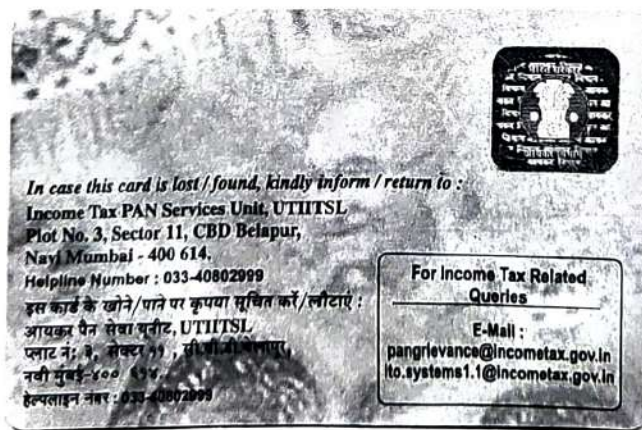
In case this card is lost / found, kindly inform / return to :
Income Tax PAN Services Unit, UTTTSE
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/लौटाएं :
आयकर पैन सेवा यूनिट, UTTTSE
प्लॉट नं. 3, सेक्टर 11, सीडी बीलपूर,
नवी मुंबई - 400 614


Manager
Gokul International Academy
Kekarchavar, Karaudikala, Sultanpur (U.P.)




Manager
Gokul International Academy
Kekarchavur, Karaudikala, Sultanpur (U.P.)




Manager
Gokul International Academy
Kekarchavav, Karaudikala, Sultanpur (U.P.)